रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 2018/ज्येष्ठ 22, 1940
No. 392] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 2018/JYAISTHA 22, 1940

पर्यावरण, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

सा.का.नि. 544(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में,-

(I) सारणी के भाग घ की अनुसूची 3 में, स्तंभ (2) बेसल संख्या ख 1110 में के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

“

बेसल संख्या	**अपशिष्ट का ब्यौरा**
(1)	**(2)**
ख 1110	- अनुसंधान और विकास सुविधा में 50 करोड़ रुपए के निवेश से डीएसआइआर अनुमोदित अनुसंधान और विकास इकाइयों या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आफ इंडिया (एसटीपीआइ), इलेक्टॉनिक हार्डवेयर टेक्नालॉजी पार्क (ईएचटीपी), में इकाइयों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) तथा बायोटेक्नालाजी पार्क (बीटीपी) द्वारा परीक्षण, अनुसंधान और विकास, परियोजना कार्य प्रयोजनों के लिए आयातित प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे ***

	- इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिर्माण के लिए कम से कम 5 वर्षों की अवशिष्ट अवधि वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी***।"

(II) क्रम संख्या 4 में बेसल संख्या ख 1110 के सामने में अनुसूची 8 , भाग घ में, मद घ और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

"

क्रम सं.	**बेसल संख्या**	**अन्य अपशिष्टों का वर्णन**	**दस्तावेजों की सूची**
(1)	(2)	(3)	(4)
घ(i)	**ख 1110**	अनुसंधान और विकास सुविधा में 50 करोड़ रूपए के निवेश से डीएसआइआर अनुमोदित अनुसंधान और विकास इकाइयों या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आफ इंडिया (एसटीपीआइ) इलेक्टॉनिक हार्डवेयर टेक्नालॉजी पार्क (ईएचटीपी) में इकाइयों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) तथा बायोटेक्नालाजी पार्क (बीटीपी) द्वारा परीक्षण, अनुसंधान और विकास, परियोजना कार्य प्रयोजनों के लिए आयातित प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे	(क) सम्यक भरा हुआ प्ररूप 6' संचलन दस्तावेज; (ख) पूर्व आयात का ब्यौरा, यदि कोई हो; (ग) निर्यातक देश की मान्य अभिकरण से चाटर्ड इंजीनियर प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यात्मकता, विनिर्माण की तारीख, अवशिष्ट अवधि और क्रमांक उपदर्शित किया गया हो । (घ) गत वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फाइल वार्षिक विवरणी की पावती की एक प्रति । (ड.) अनुसंधान और विकास सुविधा में 50 करोड़ रू. या उससे अधिक के विनिधान का एक प्रमाण-पत्र।
घ(ii)		इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिर्माण के लिए कम से कम 5 वर्षों की शेष अवधि वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	(क) सम्यक भरा हुआ प्ररूप 6' संचलन दस्तावेज; (ख) पूर्व आयात का ब्यौरा, यदि कोई हो; (ग) निर्यातक देश की मान्य अभिकरण से चाटर्ड इंजीनियर प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यात्मकता, विनिर्माण तारीख, अवशिष्ट अवधि और क्रमांक उपदर्शित किया गया हो । (घ) गत वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फाइल वार्षिक विवरणी की पावती की एक प्रति।"

[फा.सं. 23/38/2018-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 395 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खडं (i) में प्रकाशित किये गये सा.का.नि. 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016 और सा.का.नि. 177(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 द्वारा तत्पश्चात संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2018

G.S.R. 544(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, -

(I) in Schedule III in Part D in the Table, against Basel No. B1110 in column (2), after the entries, the following entries shall be inserted, namely –

“

Basel No.	**Description of waste**
(1)	**(2)**
B1110	“ - Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes by the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) approved research and development units or units in Software Technology Parks of India (STPI), Electronic Hardware Technology Park (EHTP), Export Oriented Units (EOU) and Biotechnology Parks (BTP) with investment of Rs. 50 Crore in a Research and Development (R&D) facility***
	- Used plant and machinery having a residual life of at least 5 years for manufacturing of electrical and electronic items by the electronic industry***”

(II) in Schedule VIII, Part D, against Basel No. B1110 in serial number 4, after item (d) and the entries relating thereto the following entries shall be inserted namely:

“

S. No.	**Basel No.**	**Description of other wastes**	**List of Documents**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
d(i)	**B1110**	Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes by the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) approved research and development units or units in Software Technology Parks of India (STPI), Electronic	(a) Duly filled up Form 6 – Movement document; (b) Details of previous import, if any. (c) Chartered Engineer Certificate or certificate from accredited agency of exporting country indicating the functionality, manufacturing date, residual life and serial number; (d) An acknowledged copy of the

		Hardware Technology Park (EHTP), Export Oriented Units (EOU) and Biotechnology Parks (BTP) with investment of Rs. 50 Crore in a Research and Development (R&D) facility.	annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year. (e) A certificate of investment of Rs. 50 crores or above in Research and Development (R&D) facility
d(ii)		Used plant and machinery having a residual life of at least 5 years for manufacturing of electrical and electronic items by the electronic industry.	(a) Duly filled up Form 6 – Movement document; (b) Details of previous import, if any. (c) Chartered Engineer Certificate or certificate from accredited agency of exporting country indicating the functionality, manufacturing date, residual life and serial number; (d) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year".

[F. No. 23/38/2018-HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 395 (E), dated the 04th April, 2016 and subsequently amended vide GSR 670(E), dated the 6th July, 2016 and GSR 177(E), dated the 28th February, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.06.15 20:38:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.